Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

320

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2536 - I - 16

प्र. क्र. /2016 निगरानी

1. शिवचरन तनय मकुन्दी गुप्ता उम्र-69 वर्ष
2. लखन तनय मकुन्दी गुप्ता उम्र-63 निवासीगण दिगौड़ा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...........निगरानीकर्तागण

बनाम

S.K. 28/7/16

1. ओमप्रकाश तनय दामोदर खंगार
2. उमाशंकर तनय मानू सुनार
3. रामप्रसाद तनय हल्के अहिरवार
4. भज्जूलाल तनय चन्ना विश्वकर्मा
5. महिला प्रतिभा पत्नी निर्मल विश्वकर्मा
6. शिवेन्द्र तनय उमाशंकर सोनी निवासीगण- दिगोड़ा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...........प्रतिनिगराकारगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल आदेश माननीय उपखण्ड अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2013-2014 आदेश दिनांक 30.04.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत हैं

महोदय,

निगरानीकर्तागण की विनय निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा का आदेश दिनांक 30.04.2016 विधि के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2536-एक/2016 जिला टीकमगढ़ शिवचरन विरूद्ध ओमप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.01.19
सदस्य